



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12737

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-6370 वर्ष 2025

चंद्रिका राम

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: जितेंद्र प्रसाद मिश्रा, प्रतीक श्रीवास्तव, पुलकित

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: दीवान सैफुल्ला खान, अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद मिश्रा, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री दीवान सैफुल्ला खान, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री जय किशन चौरसिया को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के मुकदमा अपराध संख्या-30 के मामले में धारा 302, 120बी, 201 भ०द०वि० और 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना-लक्सा, ज़िला: वाराणसी के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। धारा 161 द०प्र०स० के तहत दर्ज सूचनाकर्ता के बयान में 12.05.2024 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उनका नाम सामने आया है। प्राथमिकी में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगभग 4 दिनों की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कहा जाता है कि मृतक व्यक्ति के बिना सिर वाले शव की झूठी बरामदगी आवेदक पर थोपी गई थी। शव की बरामदगी एक खुली जगह से हुई है, जो झाड़ियों के पीछे छिपी हुई पाई जाती है।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का सीडीआर स्थान शव की बरामदगी के स्थान के क्षेत्र के भीतर बताया गया है। उक्त सीडीआर यह नहीं दर्शाता है कि आवेदक घटनास्थल पर मौजूद था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 17.05.2024 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. सूचनाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि सीडीआर रिपोर्ट में मृतक की बरामदगी के स्थान के आसपास आवेदक की उपस्थिति का संकेत मिलता है और शव को उसके इंगित करने पर बरामद किया गया है, इस प्रकार, वह जमानत का हकदार नहीं है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी के गठन में देरी को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी दर्ज करने से एक दिन की देरी के बाद आया है, इस तथ्य के साथ कि मृत व्यक्ति के बिना सिर वाले शरीर की बरामदगी एक खुले से की गई है स्थान, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

8. आवेदक- चंद्रिका राम, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 19, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)